



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1244]  
No. 1244]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 17, 2006/आश्विन 25, 1928  
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2006/ASVINA 25, 1928

मंत्रिमंडल सचिवालय.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1778(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) दो सौ अठासीवां संशोधन नियम, 2006 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में:-

(1) प्रथम अनुसूची में, "22. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय" विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-  
"22. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय" ।

(2) द्वितीय अनुसूची में,-

(क) 'कृषि मंत्रालय' शीर्षक के अंतर्गत, "क. कृषि और सहकारिता विभाग" उपशीर्षक के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों 8 और 27 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"8. सूखे, ओलावृष्टि और नाशक जीव के हमलों के कारण आवश्यक राहत उपायों का समन्वय ।

27. ऐसी सहकारी सोसाइटियों का जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और सम्पादन जिसमें 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' का प्रशासन भी है :

परन्तु प्रशासनिक मंत्रालय अथवा विभाग उसके नियंत्रणाधीन कार्यरत सहकारी ईकाइयों के लिए

'बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39)' के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए 'केन्द्रीय सरकार' होगा" ।

(ख) "भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "क. भारी उद्योग विभाग" उपशीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 43 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"44. राष्ट्रीय ऑटोमेटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) तथा एनएटीआरआईपी कार्यान्वयन सोसाइटी (एनएटीआईएस)" ।

(ग) "गृह मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "क. आंतरिक सुरक्षा विभाग" उपशीर्षक के अधीन विद्यमान प्रविष्टि 52 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"52. प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, ओलावृष्टि और नाशक जीव के हमले अथवा महामारियों से भिन्न) तथा मानव-जनित आपदाओं की दशा में राहत उपायों का समन्वय, जिसके अंतर्गत अन्य मंत्रालयों अथवा विभागों को आर्बिट्रि कार्य की विशिष्ट मदें नहीं हैं" ।

(घ) "अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय" ।

आ.प.जै. अब्दुल कलाम  
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2006-मंत्रि.]

के. एल. शर्मा, उप-सचिव

## CABINET SECRETARIAT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2006

**S.O. 1778(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two hundred and eighty eighth Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in the FIRST SCHEDULE, for the existing heading “22. Ministry of Non-Conventional Energy Sources (Aparamparik Oorja Srota Mantralaya)”, the following heading shall be substituted, namely:—

“22. Ministry of New and Renewable Energy (Naveen aur Navikarniya Oorja Mantralaya)”.

(2) in the SECOND SCHEDULE,—

(A) Under the heading “MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)”, for the existing entries 8 and 27, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

“8. Co-ordination of relief measures necessitated by drought, hailstorm and pest-attacks.

27. Incorporation, regulation and winding up of Co-operative societies with objects not confined to one State including administration of ‘the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002)’:

Provided that the administrative Ministry or Department shall be ‘the

Central Government’ for the purpose of exercising powers under the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (39 of 2002), for co-operative units functioning under its control”.

(B) under the heading “MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (BHARI UDYOG AUR LOK UDYAM MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY (BHARI UDYOG VIBHAG)” after entry 43, the following entry shall be inserted, namely:—

“44. National Automotive Testing and Research and Development Infrastructure Project (NATRIP) and NATRIP Implementation Society (NATIS)”.

(C) under the heading “MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY (ANTRIK SURAKSHA VIBHAG)” for the existing entry 52, the following entry shall be substituted, namely:—

“52. Coordination of relief measures in the event of natural calamities (other than drought, hailstorm, pest attacks or epidemics) and man-made disasters, excluding specific items of business allocated to other Ministries or Departments”.

(D) for the heading “MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (APARAMPARIK OORJA SROTA MANTRALAYA)”, the following heading shall be substituted, namely:—

“MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (NAVEEN AUR NAVIKARNIYA OORJA MANTRALAYA)”.

A.P.J. ABDUL KALAM  
PRESIDENT

[F. No. 1/22/1/2006-Cab.]

K. L. SHARMA, Dy. Secy.